कार्यालय जिला परिषद, झालावाड़

क्रमांक/निरीक्षण एवं रात्रि–चौपाल/2015/2054 दिनांक: 29/06/2015

आदेश

श्रीमान अतिरिक्त मुख्य सचिव महोदय, प्रशासनिक सुधार विभाग राजस्थान जयपुर के आदेश क्रमांक प.3(8)प्रसु/टाईम्स/2013 दिनांक 24 दिसम्बर, 2014 तथा श्रीमान जिला कलक्टर झालावाड़ के आदेश क्रमांक: 215–245 पीजी/निरीक्षण/2015 दिनांक 30.01.2015 व आदेश क्रमांक 495–496 पीजी/निरीक्षण/2015 दिनांक 28.05.2015 के क्रम में आम जन की समस्याओं की सुनवाई कर उनके त्वरित समाधान व निराकरण व्यवस्था सुनिश्चित कराने तथा नागरिकों को सुशासन उपलब्ध कराने की दृष्टि से अद्योहस्ताक्षरकर्ता के **माह जुलाई 2015** में **दौरा, निरीक्षण, जनसुनवाई** एवं **रात्रि चौपाल** का कार्यक्रम निम्न प्रकार रहेगा।

दिनांक	नाम उपखण्ड	नाम ग्राम पंचायत व पंचायत समिति	दौरा/निरीक्षण एवं रात्रि चौपाल
03.07.2015	झालावाड़	पिपलोद प.स. झालरापाटन	दौरा, निरीक्षण एवं रात्रि चौपाल
07.07.2015	असनावर	देवनगर प.स. बकानी	दौरा, निरीक्षण एवं जनसुनवाई
10.07.2015'	म0थाना	मनोहरथाना प.स. म0थाना	दौरा, निरीक्षण एवं रात्रि चौपाल
14.07.2015	गंगधार	क्यासरा प.स. डग	दौरा, निरीक्षण एवं जनसुनवाई
17.07.2015	भ0मंडी	पगारिया प.स. भ0मंडी	दौरा, निरीक्षण एवं रात्रि चौपाल
21.07.2015	अकलेरा	गोपालपुरा प.स. अकलेरा	दौरा, निरीक्षण एवं जनसुनवाई
24.07.2015	पिड़ावा	कनवाड़ी प.स. सुनेल	दौरा, निरीक्षण एवं रात्रि चौपाल
28.07.2015	खानपुर	करनवास प.स. खानपुर	दौरा, निरीक्षण एवं जनसुनवाई

- निरीक्षण हेतु नियत ग्राम पंचायत में उक्त पंचायत में स्थित कार्यालयों का निरीक्षण करेगे।
- रात्रि चौपाल हेतु नियत ग्राम पंचायत में जनसुनवाई कर समस्याओं का समाधान किया जायेगा।
- सम्बंधित उपखण्ड अधिकारी सम्बंधित प्रपत्रों को भरकर राजस्थान सम्पर्क आई.टी. पोर्टल पर अपलोड करेगे।
- राजस्थान सम्पर्क आई.टी. पोर्टल पर डी.डी.जी. 1 से डी.डी.जी. 7 तक के प्रपत्र व **जनसुनवाई, निरीक्षण, दौरे, रात्रि चौपाल** ऑनलाईन उपलब्ध करवा दिये गये है। सम्बंधित Adopter अधिकारी उक्त प्रपत्रों को जनसुनवाई, निरीक्षण, दौरे के पश्चात उसी दिन ऑनलाईन किया जाना सुनिश्चित करेंगे।
- सम्पूर्ण रात्रि चौपाल कार्यक्रम के प्रभारी अधिकारी संबंधित उपखण्ड अधिकारी/विकास अधिकारी/तहसीलदार होंगे तथा सहायक प्रभारी संबंधित विकास अधिकारी होंगे।
- उपखण्ड अधिकारी अपने स्तर से संबंधित जनप्रतिनिधिगणों को चौपाल में उपस्थित होने हेतु निवेदन करेंगे।
- रात्रि चौपाल में निम्न विभाग के जिला स्तरीय अधिकारी उपस्थित होकर मौके पर ही समस्याओं का समाधान करेंगे।

  1. जलदाय विभाग 2. विद्युत विभाग 3. चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग 4. पशुपालन विभाग 5. समाज कल्याण विभाग 6. महिला एवं बाल विकास विभाग 7. शिक्षा विभाग 8. राजस्व विभाग 9. रसद विभाग 10. सार्वजनिक निर्माण विभाग

  - **सभी विभाग रात्रि चौपाल के निर्धारित दिवस से एक दिन पूर्व समस्याओ का चिन्हीकरण करेगे तथा उनका निस्तारण भी करेगे।**
  - विभिन्न व्यक्तिगत लाभ के आवेदन पत्र भी भरवायेगे, उनकी पूर्ति भी करायेगे जिससे रात्रि चौपाल मे स्वीकृति जारी की जा सके।
  - रात्रि चौपाल में प्राप्त जन समस्याओं को दर्ज रजिस्टर किया जाकर उसका समाधान मौके पर ही सबंधित अधिकारी द्वारा किया जावेगा।
  - रात्रि चौपाल के दो दिन पूर्व संबंधित उपखण्ड अधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि उस पचायत की क्या–क्या परिसम्पत्तियॉ है, उसकी सूची तैयार कर जिला मुख्यालय पर फैक्स द्वारा भिजवायेंगे तथा गांव की रूपरेखा मौके पर ही तैयार रखेगें।